

कार्यालय मुख्य आयुक्त
OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER
 सी.जी.एस.टी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, भोपाल ज़ोन
CGST, CENTRAL EXCISE & CUSTOMS, BHOPAL ZONE
 35-C जीएसटी भवन, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल
35-C, GST Bhawan, Administrative Area, Arera Hills, Bhopal
Tel. No. 0755-2765208, Email: ccu-cexbhopal@nic.in

F. No.: GCCO/II/(3)/23/2026-CCA-O/o CC Bhopal, dated 24-04-2026

Estt.Order No. 11/2026

Dated: 24.04.2026

निम्नलिखित स्थानांतरण एवं पदस्थापना, कर सहायक/आशुलिपिक/निम्न श्रेणी लिपिक (मंत्रालयिक संवर्ग) के ग्रेड में सीजीएसटी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, भोपाल कैडर नियंत्रण क्षेत्र में, तत्काल प्रभाव से तथा अगले आदेश तक के लिए आदेशित किए जाते हैं-

The following transfers and postings in the grade of Tax Assistant /Stenographers/LDC (Ministerial Cadre) of CGST, Central Excise and Customs under Bhopal Cadre Control Zone are hereby ordered with immediate effect and till further orders: -

S. N.	Emp Code	Name of the Officer (Shri/Smt./Ms.)	From	To
Tax Assistant				
1	837	Pramod Singh Patel	CGST, Jabalpur	CGST, Bhopal
2	830	Neelam Yogi	CGST, Ujjain	Appeals, Indore
3	1613	Akashdeep Kushwah	Nagpur zone	Audit, Bhopal
Lower Division Clerk				
4	619	Deepak Khanvilkar	CGST, Indore	CGST, Ujjain
Stenographer-I				
5	1647	Himanshi Agrawal	CGST, Indore	CGST, Ujjain
Stenographer-II				
6	2192	S. Devaki	CGST, Bhopal	CCO, Bhopal

2. आयुक्तालयों अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत विशिष्ट पदस्थापन संबंधित क्षेत्राधिकार के प्रधान आयुक्त/आयुक्त द्वारा किए जाएंगे।

The specific postings within the jurisdiction of the Commissionerates will be made by the jurisdictional Principal Commissioner/Commissioner.

3. स्थानांतरित अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे अपने प्रभार में सभी महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध कार्यों की एक सूची तैयार करें और उसे नियंत्रण अधिकारी को सौंपें,

जिसकी एक प्रति प्रभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को भी उपलब्ध कराई जाए। प्रभार सौंपने वाले अधिकारी को DoP&T कार्यालय ज्ञापन सं. 13024/01/2014-TRG (Trg-Ref) दिनांक 26.09.2014 के अनुसार, प्रभार ग्रहण करने वाले अधिकारी के लिए एक संक्षिप्त टिप्पणी (हैंडओवर नोट) भी तैयार करनी होगी।

The transferred officers should prepare a list of all important and time bound works under their charge and hand over the same to the controlling officer with a copy endorsed to the officer taking over the charge. The officers handing over the charge shall also prepare note for the successor in terms of DoP&T OM. No. 13024/01/2014-TRG (Trg-Ref) dated 26.9.2014.

4. अधिकारियों द्वारा अपने नए पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व किसी भी प्रकार का प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

No representation whatsoever shall be entertained before the officers join at their new places of posting.

5 . स्थानांतरण/प्रतिधारण/रोटेशन हेतु अधिकारियों द्वारा अब तक प्राप्त सभी प्रतिवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है।

All the representations of the officers for transfer/retention/rotation received till date have been disposed of.

6 . क्रम संख्या 4 एवं 5 पर उल्लिखित अधिकारियों को कोई स्थानांतरण भत्ता (TA) अथवा कार्यग्रहण अवकाश (joining time) देय नहीं होगा, क्योंकि उनका स्थानांतरण स्वयं के अनुरोध पर, अनुकंपा आधार पर किया गया है।

No transfer TA/joining time will be admissible to the officers mentioned at Sr. No. 4 & 5 as they have been transferred on their own request on compassionate ground.

7. सभी स्थानांतरित अधिकारियों को दिनांक 01.05.2026 तक या उससे पूर्व कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य है।

All the transferred officers must be relieved on or before 01.05.2026.

8. यह आदेश मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, भोपाल ज़ोन, के अनुमोदन से जारी किया गया है।

This issues with the approval of the Chief Commissioner, CGST, Central Excise & Customs, Bhopal zone.

(राजीव श्रीवास्तव)
सहायक आयुक्त (सीसीए)

प्रतिलिपि Copy to:

1. मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी, नागपुर ज़ोन

The Chief Commissioner, CGST, Nagpur Zone.

2. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, भोपाल/ इंदौर/ उज्जैन/ जबलपुर, लेखा परीक्षा इंदौर को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

The Principal Commissioner/Commissioner, CGST, Bhopal/Indore/Ujjain/Jabalpur; Audit, Indore; for information and necessary action please.

3. मुख्य लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी, भोपाल/ इंदौर/ उज्जैन/ जबलपुर, लेखा परीक्षा इंदौर को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

The Chief Account Officer/Administrative Officer, CGST, Bhopal/Indore/ Ujjain /Jabalpur; Audit, Indore; for information and necessary action please

4. वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, भोपाल/ इंदौर/नागपुर को सूचना हेतु।

The Pay & Accounts Officer, Central Excise, Bhopal/Indore/Nagpur for information please.

5. सभी संबन्धित से अनुरोध है कि वे इस आदेश की प्रतिलिपि रिकॉर्ड एवं अनुपालन के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.ccobz.gov.in से डाउनलोड करें।

The individual concerned are requested to download copy of the order from official website www.ccobz.gov.in for his/her record and compliance.